राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3511/2025

नतथन सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं अभियंता विभाग, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.07.2025
आदेश की दिनांक : 28.07.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री राज कुमार गोयल, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, (अध्यक्ष)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी को प्रारंभ में मस्टर रोल के पद पर दिनांक 01.03.88 को दैनिक वेतन भोगी में नियुक्ति किया गया था। दो वर्ष अपीलार्थी को अर्ध–स्थायी दर्जा दिया गया और दिनांक 01.03.90 को हेल्पर के पद पर नियुक्त किया गया और साथ ही 750–940 (2550) का वेतनमान दिया गया कि प्रत्यर्थियों को दिनांक 01.03.90 की तिथि से पंप चालक का वेतनमान 950/– रुपये दिया जाना चाहिए, लेकिन प्रत्यर्थियों को वेतनमान प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक से दिया जा रहा था और अपीलार्थी दिनांक 01.03.1990 से पंप चालक के वेतनमान का हकदार है। अपीलार्थी को 10 वर्ष की सेवा के बाद स्थायी दर्जा दिया गया है। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी के पास शैक्षणिक योग्यता 10वीं दैनिक वेतन भोगी थी और 31.03.90 को हेल्पर के रूप में नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी को नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से पंप चालक का काम सौंपा गया था, लेकिन अन्य समान व्यक्तियों को अर्ध–स्थायी स्थिति की तिथि से पंप चालक का वेतनमान दिया गया था और वेतनमान (950) दिया गया था। प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि उन्हें 950 रुपये का वेतनमान दिया जाए, जबकि प्रासंगिक समय पर अपीलार्थी

और अन्य समान व्यक्तियों के वेतनमान में अंतर था, हालांकि शैक्षणिक योग्यता समान थी और अन्य समान व्यक्ति को पंप चालक का वेतन दिया गया। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 14.07.25 को पंप चालक के पद पर 950/– का वेतनमान दिए जाने के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जो दो वर्षों की समान सेवा के बाद प्रदान किया गया था, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग ने आज तक न तो अभ्यावेदन का निस्तारण किया है और न ही उसे समान लाभ प्रदान किए हैं। (अनुलग्नक–2) इसी प्रकार का विवाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दुर्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 3040/89 में दिनांक 13.12.94 के आदेश द्वारा हल किया गया था, जिसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा अनुमति दी गई थी और इसी प्रकार का मामला सोहन बनाम राज्य के मामले में एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 3648/89 में दिनांक 16.12.94 को तय किया गया था। (अनुलग्नक–3 व 4) इसी तरह के विवाद का निर्णय अधिकरण द्वारा निरोत्तम सिंह बनाम राज्य के निरोत्तम 968/2020 के मामले में आदेश दिनांक 04.06.2025 पारित किया गया है। (अनुलग्नक–5)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को उसकी नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि 01.03.1990 से पंप चालक का वेतनमान प्रदान किया जावे तथा समान स्थिति वाले व्यक्तियों को समान सभी परिणामी लाभ प्रदान किए जावे।

हमने अपीलार्थीग के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विशाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए एवं अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर

उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष